न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरण, अजमेर

अपील संख्याः 2019/00468 आदेश दिनांक – 08.11.2019

बउनवान रतनी देवी बनाम भूरा

यह प्रार्थना पत्र श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 27.12.2018 को अद्म हाजिरी अद्म पैरवी मं खारिज किये जाने के कारण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।

तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.12.21 16:25:52 IST
Reason: SelfAttested